73

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः—श्री एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 270—एक/1991 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 31—10—1990 के द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त चम्बल सम्भाग, ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक 78/1989—90/निगरानी

.....

रामशरण पुत्र शादीलाल,
निवासी —मिहोना, जिला—भिण्ड (म0प्र0)

..... आवेदक

विरूद्ध

1— मेवालाल पुत्र मिट्ठूलाल,
2— रामेश्वर दयाल पुत्र मिट्ठूलाल
3— आनंद स्वरूप पुत्र बाबूलाल,
4— राजकुमार पुत्र बाबूलाल

निवासीगण— ग्राम लपवाहा, तहसील—लहार
जिला— भिण्ड म0प्र0

.....अनावेदकगण

.....

श्री एस0के0 अवस्थी, अभिभाषक, आवेदक

.....

आदेश

(आज दिनांक 5-10-2016 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी न्यायालय अपर आयुक्त चम्बल सम्भाग, ग्वालियर द्वारा प्रकरण क्रमांक 78/1989—90/निगरानी में पारित आदेश दिनांक 31—10—1990 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 (जिसे संक्षेप में आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण का संक्षिप्त सार यह है कि ग्राम लपवाहा के खाता क्रमांक 230 किता 28 रकबा 9.525 तथा खाता क्रमांक 231 किता 20.20 0 के 1/2 भाग का भूमिस्वामी शंकरलाल पुत्र गनेश प्रसाद था। उक्त विवादित भूमि के भूमिस्वामी शंकरलाल की मृत्यु उपरांत,

तहसीलदार, लहार ने प्रकरण क्रमांक 60/88–89/अ–6 में पारित आदेश दिनांक 24.01.90 द्वारा आवेदक रामशरण पुत्र शादीलाल का विवादित भूमि पर नामांतरण स्वीकार किया। तहसीलदार लहार के उक्त आदेश से व्यथित होकर अनावेदकगण द्वारा अपील अनुविभागीय अधिकारी, लहार के समक्ष प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी, लहार ने प्रकरण क्रमांक 85/1989–90/अपील माल में पारित आदेश दिनांक 24.02.90 द्वारा तहसीलदार, लहार के आदेश दिनांक 24.01.90 को विधिवत मान्य करते हुए स्थिर रखा तथा अपील अस्वीकार की गई। अनुविभागीय अधिकारी के उक्त आदेश से परिवेदित होकर द्वितीय अपील न्यायालय अपर आयुक्त चम्बल संभाग, ग्वालियर में प्रस्तुत की गई है। न्यायालय अपर आयुक्त चम्बल सम्भाग, ग्वालियर द्वारा प्रकरण क्रमांक 78/1989–90/निगरानी में दर्ज किया जाकर पारित आदेश दिनांक 31–10–1990 से निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसील न्यायालय को निर्देशों के साथ प्रत्यावर्तित किया गया । इसी आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत कर बताया कि अपर आयुक्त ने अपने आदेश में एक ओर तो यह लिखा है, कि अधीनस्थ न्यायालयों ने साक्ष्य पर विचार करके निर्णय नहीं दिया और दूसरी ओर यह भी उल्लेख किया है कि गांव के बाहर के साक्ष्य पर भरोसा करके अधीनस्थ न्यायालयों ने भूल की है, इससे स्पष्ट है कि उनका यह लिखना कि अधीनस्थ न्यायालयों ने साक्ष्य पर विचार करे निर्णय नहीं दिया, अभिलेख के विपरीत है । उनके द्वारा तर्क में यह भी बताया कि कब्जे का प्रश्न प्रकरण से असम्बन्धित है । संहिता की धारा 110 के अंतर्गत बनाये नियम 32 के अंतर्गत कब्जा न होकर स्वत्व है । जब आवेदक के बहन का लड़का होना साक्ष्य से सिद्ध हो चुका है तो अनावेदकगण द्वारा पेश किये गये सजरे पर विचार करने की कोई आवश्यकता न थी । अनावेदकगण ने अपने नामांतरण के भिन्न–भिन्न प्रकार के आधार बताये, किन्तु वे उनमें से किसी एक को भी सिद्ध नहीं कर सके। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इन बिन्दुओं पर ध्यान दिये बिना ही आदेश पारित किया गया जो अवैधानिक है । अतः निगरानी स्वीकार किया जावे ।

4/ अनावेदक सूचना उपरांत अनुपस्थित होने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है ।

5/ मेरे द्वारा आवेदक के अधिवक्ता के तर्क श्रवण किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया गया । अवलोकन करने पर पाया गया कि वसीयत के संबंध में

वसीयत लेखक रामकुमार ने अपने कथन में बताया कि " वह दिनांक 14.04.85 को सुबह 8.9 बजे पहूँचा।" जबकि मेवालाल स्वयं अपने कथन में बताया है कि " रामकुमार शंकरलाल के घर तीन बजे के करीब पहूँच गये थे।" मेवालाल अपने कथन में कहता है कि " वसीयतनामा घर पर लिखा गया था । रजिस्ट्रार ने हमारे घर पर लिखा–रजिस्ट्रार रजिस्ट्री करने के लिये हमारे घर पर गया था । शंकरलाल उस समय जिन्दा थे। शंकरलाल ने रजिस्ट्रार से कह दिया था कि मेवालाल आदि के नाम वसीयत कर रहा हूँ । अन्य किसी गवाह ने वसीयत का दिनांक तथा समय नहीं बताया । मेवालाल ने जो कथन किया है कि उसे किसी गवाह ने अपने कथन में नहीं कहा है । वसीयत लेखक रामकुमार भी अपने बयान में यह नहीं बता सका कि वसीयत लिखने के कितने दिन बाद रजिस्ट्री हुई है । सब–रजिस्ट्रार के बयान से स्पष्ट होता है कि वसीयत शंकरलाल की मृत्यु के पश्चात रजिस्टर्ड की गई थी । उपरोक्तानुसार यह स्पष्ट होता है कि वसीयत लिखे जाने तथा से रजिस्टर्ड कराये जाने के संबंध में साक्षियों के कथन स्पष्ट नहीं है । यदापि राजस्व न्यायालय द्वारा वसीयत की जांच में अवैध नहीं ठहराया जा सकता, परंतु उस पर मात्र संदेह ही किया जा सकता है । वसीयत को अवैध करार दिये जाने का क्षेत्राधिकार व्यवहार न्यायालय को है। लेकिन उपरोक्त स्थिति को दृष्टिगत रखते हुये वसीयत शंकास्पद मानने में अधीनस्थ न्यायालयों ने कोई त्रुटि नहीं की है । अतएव निगरानी का यह आधार स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के प्रकाश में अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश विधिसंगत न होने से स्थिर रखे योग्य नहीं है । इसी स्तर पर अपर आयुक्त चम्बल संभाग, ग्वालियर ने अधीनस्थ न्यायालयों के द्वारा पारित आदेश को निरस्त किया है तथा प्रकरण तहसील न्यायालय को प्रत्यावर्तित करने में कोई भूल नहीं की है । मैं अपर आयुक्त के इस आदेश से सहमत हूँ । फलतः निगरानी आधारहीन एवं महत्वहीन होने से निरस्त किया जाता है । समाप्त होकर दाखिल रिकॉर्ड हो ।

(एम0के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर